159

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2036–दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.11.2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर निग. प्रकरण कमांक 05–अ–19/03–04

मातादीन पुत्र नत्थू यादव
निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील व
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

रमेश पुत्र ग्यासी ढीमर
निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील व
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता, आवेदक
श्री एस.के.श्रीवास्तव अधिवकता अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 16 –08–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक निग. 05–अ–19/03–04 में पारित आदेश दिनांक 24.11.05 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व सहिता 1959 की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को तहसीलदार टीकमगढ़ के राजस्व प्रकरण कमांक 10/अ–19(4)/98–99 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2001 द्वारा ग्राम महाराजपुरा की भूमि खसरा नम्बर 647 रकवा 0.500 है0 (1.25 एकड) भूमि का व्यवस्थापन म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में ली जा रही दखत रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के तहत किया गया था। उक्त आदेश के 1 वर्ष उपरांत कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष अनावेदक ने निगरानी प्रस्तुत की कलेक्टर टीकमगढ ने आदेश दिनांक 30.09.03 द्वारा व्यवस्थापन के नियमों के विपरीत मानते हुये निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जिस पर अपर आयुक्त सागर ने अपने आदेश दिनांक 24.11.05 द्वारा निरस्त की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन 16.04.2001 में किया गया था। व्यवस्थापन होने के उपरांत काफी मेहनत से उसे कृषि योग्य बनाया है कलेक्टर ने इस तथ्य को अनदेखा किया है।

यह तर्क भी दिया गया वादग्रस्त भूमि पर आवेदक के पूर्व उसके पिता काबिज होकर कृषि करते रहे उनके पश्चात आवेदक निरन्तर काबिज चला आ रहा है। तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को 2.10.84 के पूर्व से काबिज होने के आधार पर बंटन की कार्यवाही की गई थी।

यह तर्क भी दियागया कि आवेदक को नियमानुसार पट्टा प्रदान किया था पृष्ठ 13 पर खसरा पांचशाला रिकार्ड फाईल में संलग्न है जिसमें आवेदक का कब्जा प्रमाणित है। वर्ष 2000–01 खसरा की प्रति संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि से लगी हुई है और व्यवस्थापित भूमि छोटे टुकडों में विभाजित है इस कारण भी आवेदक उक्त भूमि को व्यवस्थापित कराने का पात्र था।

यह तर्क भी दिया गया कि इस प्रकरण में कलेक्टर ने अनावेदक द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय पश्चात अवधि बाह्य पुनरीक्षण में सुनवाई कर आवेदक के पक्ष में दिए गए व्यवस्थापन आदेश को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश दिया है जो अवैधानिक है अनावेदक का वाद भूमि पर कोई हित नहीं है न तो उनका कभी कब्जा रहा न ही उसने अपने पक्ष में बंटन कराने बावत कोई आवेदन दिया मात्र द्वेष भावना से उसके द्वारा कार्यवाही की गई थी इसी कारण कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष उसके द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने के पश्चात निगरानी लंबनकाल में आवेदक से राजीनामा कर निगरानी निरस्त करने का आवेदन पेश किया था लेकिन कलेक्टर टीकमगढ ने उक्त राजीनामा आवेदन पर विचार किये बिना अपने आदेश दिनांक 30.09.03 द्वारा व्यवस्थापन आदेश निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण में अनावेदक ने वाद भूमि पर किसी प्रकार का हित प्रमाणित किये बिना अवधि बाह्य पुनरीक्षण पेश किया था बाद में उन्हीं के न्यायालय में एक आवेदन पेश किया कि उक्त पुनरीक्षण में कोई कार्यवाही नहीं कराना चाहता इसी स्तर पर समाप्त कर दी जाये। लेकिन कलेक्टर ने कोई विचार नहीं किया उक्त आदेश को अपर आयुक्त सागर ने भी स्थिर रखा ऐसी स्थिति में उक्त पुनरीक्षण

न्यायालयों कलेक्टर, टीकमगढ एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश विधिवत एवं उचित नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4— अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों कलेक्टर एवं अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा अपने आदेश में विधिवत विचार करने के पश्चात तहसील न्यायालय के व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है। अतः ऐसा आदेश विधिवत एवं उचित है ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5— उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिकाओं एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि कलेक्टर टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 30.09.03 में उल्लेख किया है कि तहसीलदार ने प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में उदघोषणा का प्रकाशन नहीं कराया। परन्तु उन्होने यह भी माना है आर्डरशीट में इश्तहार का प्रकाशन कराया जाये उल्लेख किया गया है। तहसील का आदेश निरस्त करने हेतु यह भी आधार लिया है कि तहसीलदार ने विधिवत जांच किये बगैर अवैधानिक रूप से आदेश पारित कर आवेदक को दखलरहित अधिनियम 1984 के तहत व्यवस्थापन किया गया है जबकि प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने भूमि व्यवस्थापन के पूर्व विधिवत विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया है तथा ग्राम पंचायत से अभिमत प्राप्त किया है ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव क्र. 5 दिनांक 22.12.98 द्वारा सहमति दी है। पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि वाद भूमि सुरक्षित एवं निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं है आवेदक के स्वत्व की भूमि से सर्वे कं. 647 रकवा 0.500 है0 भूमि लगी होने से एवं आवेदक का पूर्व से कब्जा चले

आने एवं खेती करने के आधार पर ग्रामीणों की साक्ष्य के आधार पर भूमि का व्यवस्थापन किया गया है। 1975 रा.नि. 67 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि आवंटन किया गया भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये– पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन शक्तियों प्रयुक्त करते हुये परिसीमा के पश्चात आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 2009 रा.नि. 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि आवेदक को आवंटित की गई– सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती– सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई – प्रशासनिक अधिकारियोंद्वारा की गई त्रुटियों से पात्र भूमिहीन वंटितियों को भूमि आवंटन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्र.क्र. 43/निग. /02–03 में पारित आदेश दिनांक 30.09.03 में तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष निकाले हैं जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा भी बिना कोई निश्कर्ष दिये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त सागर का आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.05 एवं कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.03 निरस्त किए जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक के हित में ग्राम महाराजपुरा तहसील व जिला–टीकमगढ़ में स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 647 रकवा 0.500 है. का किया गया व्यवस्थापन आदेश दिनांक 16.04.2001 यथावत रखा जाता है। आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर